संख्याः– 1971 / III(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 38.50 किमी0 + 03 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 499.70 लाख (₹ चार करोड़ निन्नयानवे लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 10 कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Attested

महिमा

07/12/15
सहायक अभियन्ता
अस्थाई ... लो0नि0वि0

(18)

शासनादेश संख्याः–1971 (1)/III(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैंकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	103.16	0.10
2	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	50.32	0.10
3	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में नन्दप्रयाग–देवलखाल मोटर मार्ग का बेडू तक विस्तार।	0.500	6.29	0.10
4	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।	3.00	37.80	0.10
5	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। **(मु0मं0घो0 संख्या– 396/2012)**	10.00	125.80	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बौंला से श्रीकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। **(मु0मं0घो0 संख्या– 410/2012)**	2.00	25.16	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में गौचर–दुवा–काण्डा मोटर मार्ग का बमेली तक विस्तारीकरण। **(मु0मं0घो0 संख्या– 411/2012)**	6.00	75.48	0.10
8	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रामपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नांगल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सड़क का निर्माण।	5.00 + 300 mt brg	62.44 (38.00 + 24.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–08 के अनुसार)	0.10
9	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर शरीफ दरगाह के सामने पुरानी गंग नहर पर आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रस्ड सेतु का निर्माण कार्य। **(मु0मं0घो0 संख्या– 817/2012)**	95 mt	10.45	0.10
10	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट में आई0टी0आई0 को जाने हेतु खाईबगड़ से चीराबगड के बीच 70 मी0 झुलापुल का निर्माण।	70.00 mt	2.80	0.10
	योग	**38.50 + 03 brg**	**499.70**	**1.00**

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

Attested
07/12/15

सहायक अभियन्ता
अस्थाई ... लो0नि0वि0

शकुन्तला देवी बुटोला
प्रधान
ग्राम पंचायत-कोट

विकासखण्ड.-नारायणबगड़
जिला-चमोली
उत्तराखण्ड

निवास-ग्राम-कोट, पोस्ट-कोठुली, वि. ख.-नारायणबगड़, जिला-चमोली (उत्तराखण्ड)
मो0 9536917116, 08991322029, 9627436174

पत्रांक ....मैसी..... दिनांक 15.12.2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कण्डरा से कोट केदारकोटे स्वीकृत 10 कि०मी० मोटर मार्ग जिसका सर्वेक्षण लो०नि०वि० गौचर द्वारा किया गया उक्त मोटर मार्ग से अधिक से अधिक आबादी जुड़ रही है साथ ही दोनों विकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं नारायणबगड़ आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों विकासखण्डों की जनता को पूर्ण आवागमन का फायदा हो रहा है तथा उक्त मोटर मार्ग में कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं है और पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो रहा है जनहित में उक्त मोटर मार्ग कर्णप्रयाग से नारायणबगड़, थराली एवं कर्णप्रयाग से कोट केदार कोट ओपेन मुख्य मोटर मार्ग बन सकता है दोनों विकासखण्डों का फायदा देखते हुए उक्त मोटर मार्ग पर अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए कार्य निर्माण प्रारम्भ करवाया जाय इसमें ग्राम पंचायत कोट एवं केदार कोट की किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है

प्रधान ग्राम पंचायत कोट
हस्ताक्षर
दिनांक 15.12.2014
विकासखण्ड-नारायणबगड़ (चमोली)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	गंगेश्वरी देवी वार्ड सदस्य	गंगेश्वरी देवी
2–	देवी प्रसाद "	देवी प्रसाद
3–	बसन्ती देवी "	अ.नि. (बसन्ती देवी)
4–	दलवीर सिंह "	[illegible]
5–	सुनीता देवी " उपप्रधान	सुनीता देवी
6–	सदानन्द कल्याणसमिति अध्यक्ष	सदानन्द
7–	बचन सिंह पूर्व उ० प्रधान	बचन सिंह
8–	केदेश्वरी देवी म० मंगलदल अध्यक्षा	केदेश्वरी देवी
9–	राम लाल – सदस्य क्षेत्र पंचायत – भटियाणा वार्ड	Ramlal
		सदस्य क्षेत्र पंचायत भटियाणा
		वि0 ख0 नारायणबगड
		जिला चमोली

सं० पंच
वनपंचायत
पंचायत सरपंच
दिनांक
ग्राम
वि0 ख0 नारायणबगड़ (चमोली)

ह0 /–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत कोट
हस्ताक्षर
दिनांक
वि0 ख0 नारायणबगड़ (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – कण्डारा
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद — चमोली — के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मो० मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल सोयम भूमि, मकडिस्पोजल हेतु 0.500 हे0, वन पंचायत भूमि 0.350 हे0) अर्थात कुल 6.450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — कण्डारा — द्वारा दिनांक 9-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — कण्डारा — के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 6.450 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
ग्रा० वि० अधि०

(मुहर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र-कण्डारा, वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली))

ह0 / –
राजेश्वरी
ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा, ह० ..., दिनांक ..., वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 09-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कण्डारा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	अनिल सिंह कण्डारी उप प्रधान	[signature]
(2)	राजेन्द्र कुमार वार्ड सदस्य	राजेन्द्र कुमार
(3)	मुन्नी देवी "	मुन्नी देवी
(4)	बिशोदा देवी "	
(5)	भादी देवी पंवार	भादी देवी
(6)	जयन्ती देवी	नन्दा देवी
(7)	नन्दा देवी महिला मंगल दल अध्यक्ष	जयन्ती देवी
	[signature] सदस्य क्षेत्र पंचायत कण्डारा वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)	

[signature]
वनपंचायत
विशेश्वर
वन पंचायत कण्डारा
बैनोली (चमोली)

ह0 /–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा
रामेश्वरी
दिनांक
वि०ख०-कर्णप्रयाग (चमोली)

"बार-चार्ट"

कार्य का नाम:- कण्डारा से केदारकोर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 5.320 है. आरक्षित वन भूमि, 0.350 है. वन पंचायत भूमि, 0.280 है. सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.500 है. कुल 6.450 है. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

स्केल - 1 से.मी. = 200 मी.

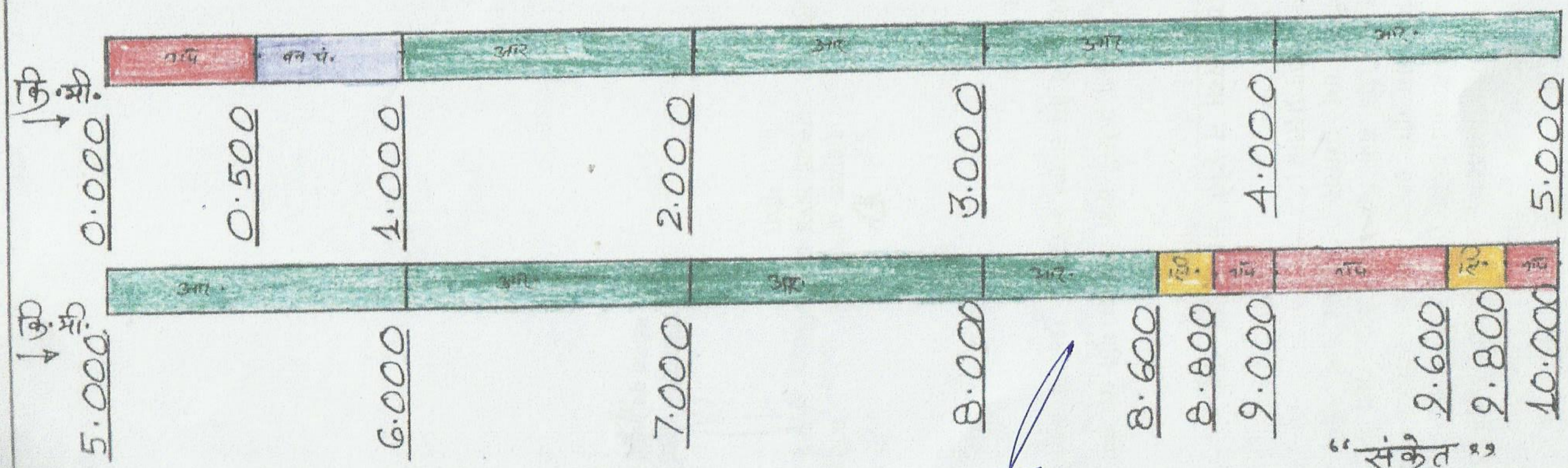

"संकेत"

क्र.सं.	विवरण	चिन्ह
1	2	3
1	नाप भूमि	
2-	वन पंचायत भूमि	
3-	आरक्षित वन भूमि	
4-	सिविल वन भूमि	

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल (वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई (कि0मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (हे0)
चमोली	~~केदारनाथ वन्य जीव~~ बद्रीनाथ वन प्रभाग ~~प्रभाग गोपेश्वर~~ गोपेश्वर	कुंजाकोट–II क0स0–4	1.100	7.00	0.770
		कुंजाकोट–II क0स0–3	1.500	7.00	1.050
		कुंजाकोट–II क0स0–2	2.500	7.00	1.750
		कुंजाकोट–II क0स0–1	2.500	7.00	1.750
		मक डिस्पोजल			0.400
	योग				5.720 हे0

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
प्रभागीय वनाधिकारी

(14)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग—नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल / वन पंचायत / आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप—6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 13/2/2015 को. अ.ख.लो.नि.वि. गौचर..(एजेन्सी का नाम) के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग के 25.00(कि0मी0 4—6) से प्रारम्भ होकर लम्बाई 10.00 कि0मी0 ग्राम केदारकोट तक बनाये जाने वाले मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया। सयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दिगम्बर प्रसाद सेमवाल , (वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड) , श्री त्रिलोक सिंह नेगी (वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड) राजस्व विभाग की ओर से श्री हरीश कुमार (पटवारी क्षेत्र कण्डारा / कनखुल), श्री विनादे कुमार (पटवारी क्षेत्र जाख पाटियो) प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री एम0एस0 रावत (सं.अभि0), श्री विनोद चौहान (क0अभि0) अन्य दावेदारों की ओर से स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती रामेश्वरी देवी (ग्राम पंचायत कण्डारा) एवं श्रीमती शकुन्तला देवी (ग्राम पंचायत कोट) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल / समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों / समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें .से नाप भूमि 1.500(कि0मी0) ,सिविल वन भूमि 0.400 (कि0मी0), वन पंचायत भूमि 0.500 (कि0मी0) , आरक्षित वन भूमि 7.60(कि0मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल. लम्बाई 10.00 कि0मी0, जिसमें से नाप भूमि 1.050हे0 ,सिविल वन भूमि 0.280 हे0, वन पंचायत भूमि 0.350 हे0, आरक्षित वन भूमि 5.320 हे 0 एव मक डिस्पोजल हेतु 0.500 है0 कुल 7.500 हे0 के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग 227. वृक्ष चीड, खड़ी,क प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होगे। जिनमें से बांज प्रजाति के 5 वृक्ष प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखा गया है उसकी लम्बाई 1.500 कि0मी0 नाप भूमि से 1.500 (कि0मी0) सिविल वन भूमि से 0.400 (कि0मी0) , वन पंचायत भूमि 1.000 (कि0मी0) ,आरक्षित वन भूमि 7.60(कि0मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन मे कुल. 1.050 हे0 नाप भूमि...1.050 हे0 सिविल वन भूमि 0.280 हे0, आरक्षित वन भूमि 5.320 , वन पंचायत भूमि 0.700 एवं मक डिस्पोजल 0.500 है0 की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 7.850 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग 235 वृक्ष चीड,खडींक प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिनमें से बाज प्रजाति के 7 वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपर्युक्त स्थल / समरेखण वन पंचायत से गुजरेगा। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. है तथा यह स्थल......30° 13' 8.76"N, 79° 18' 33.33"E से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल...30° 13' 56.87"N, 79° 21' 15.26"E है जिसका GPS मान.है।

चुने गये समरेखण / स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान है।

चयनित समरेखण में कुल 227 पोधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यका होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण किसी राष्ट्रीय पर्क / वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है / नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल पर 10.00 कि0मी0 के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उनके निस्तारण हेतु 08 स्थल उपर्युक्त पाये गये है। जिनका GPS मान (30° 13' 6.53"N, 79° 19' 02.15"E), (30° 12' 56.17"N, 79° 19' 29.44"E) ,(30° 13' 11.03"N. 79° 19' 47.71"E) (30° 13' 26.39"N. 79° 19' 50.83"E). (30° 13' 37.45"N. 79° 20' 1.21"E). (30° 13' 31.69"N. 79° 20' 27.00"E) (30° 13' 40.20"N. 79° 20' 46.44"E). (30° 13' 54.84"N. 79° 21' 08.70"E)अन्य आवश्यक विवरण.—संलग्न है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	(वन विभाग)	(राजस्व विभाग)	(ग्राम प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि

प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा
विकासखण्ड—कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पटवारी क्षेत्र ...
जिला चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत ...
विकासखण्ड—नारायणबगड़ (चमोली)

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई – चौड़ाई का प्रमाण – प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कि0मी0 0.00 से 10.00 लम्बाई कि0मी0, चौड़ाई 7.00 मीटर कुल 70000 वर्ग मीटर अर्थात सिविल वन भूमि 0.280 हे0, वन पंचायत भूमि 0.350 हे0, आरक्षित वन भूमि 5.320 हे0 और नाप भूमि 1.050 हे0, कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0 है।

सिविल वन भूमि 0.400 कि0मी0 X 7 मी0	=	0.280 हे0
वन पंचायत भूमि 0.50 कि0मी0 X 7मी0	=	0.350 हे0
आरक्षित वन भूमि 7.60 कि0मी0 X 7मी0	=	5.320 हे0
नाप भूमि 1.50 कि0मी0 X 7मी0	=	1.050 हे0
मक डिस्पोजल	=	0.500 हे0
योग	=	7.500 हे0

अतः वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण हेतु कुल 6.450 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

पटवारी क्षेत्र
कण्डारा

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पटवारी क्षेत्र
जाख पाटियूँ

तहसीलदार
थराली

उप जिलाधिकारी
थराली
जिला चमोली

...ख्यमंत्री घाषणा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नैनीसैंण मोटर मार्ग से कण्डारा–केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 05/03/16 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन पंचायत, ...प भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई । निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/ब्यासवार विवरण

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/ कम्पार्टकेन्ट	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0–10		10–20		20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		70–80		80–90		90 से		योग		कुल योग
					का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	का0	ना0	
1	नापखेत कण्डारा		खडीक	Celtis eriocarpa Decasine	0	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	9
2	कुंजाकोट II	क0सं0 04	चीड	Pinus roxburghii Sargant	-	45	-	13	-	3	5	-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	9	63	72
3	कुंजाकोट II	क0सं0 03	चीड	Pinus roxburghii Sargant	-	37	18	-	12	-	7	-	-	-	6	-	2	-	3	-	4	-	-	-	52	37	89
4	कुंजाकोट II	क0सं0 04	चीड	Pinus roxburghii Sargant	-	2	11	-	25	-	9	-	7	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	57	2	59
	सम्पूर्ण योग				0	84	29	13	37	7	21	4	8	1	9	0	6	0	4	2	4	0	0	0	118	111	229

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षो का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
गौचर

सहाकय अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणबगड

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(48)

परियोजना का नामः–	राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

45

लैन्ड शेड्यूल

सिविल भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं0	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे0)
चमोली	कर्णप्रयाग	कण्डारा वन पंचायत	4	7.694	0.350
		मक डिस्पाजेल			0.050
	थराली	कोट सिविल वन भूमि	8	2.953	0.280
		मक डिस्पाजेल			0.050
	5/2/16				
		योग	~~31~~ 12	~~28.997~~ 10.647	~~3.395~~ 0.73

H.D.Singh
अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

पटवारी क्षेत्र
कण्डारा

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

विनोद कुमार
पटवारी
पटवारी क्षेत्र
जाख पाटियूँ
(जिला चमोली उत्तराखण्ड)

तहसीलदार
थराली

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
थराली
जिला चमोली

जिलाधिकारी
चमोली

Attachment 2.36

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नामः– **राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्ड़ारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 6.450 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	–	V
2.	हरियाली का घनत्व	–	0.2
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	–	6,57,000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–		6.450
5.	कुल देय एन0पी0वी. की धनराशि–		42,37,650.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।